भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान

कुल बजट पारदिर्शता अंक

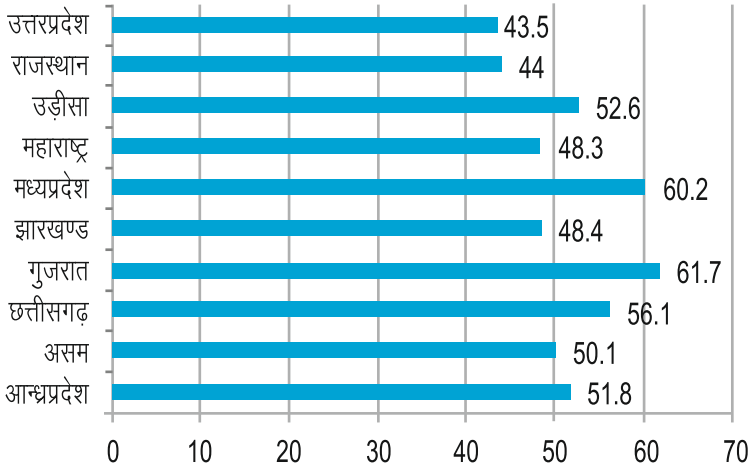

पारदर्शिता के मानदंड	आन्ध्रप्रदेश	असम	छत्तीसगढ़	गुजरात	झारखण्ड	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तरप्रदेश
	(औसत पारदर्शिता अंक) (%)									
बजट से संबंधित दस्तावेज़ों की उपलब्धता	68	67	65	87	72	68	65	68	80	64
सूचनाओं की पूर्णता	75	74	81	85	74	81	77	75	56	69
सूचनाओं की समझ को आसान बनाना	51	50	39	65	64	35	70	47	71	42
सूचनाओं की समयबद्धता	59	51	77	77	53	84	53	69	25	33
लेखा तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन	39	29	55	39	23	67	35	31	35	35
विधायिका द्वारा परीक्षण के अवसर	50	55	43	55	38	62	41	60	36	36
वंचित वर्गो के लिये बजट से संबंधित प्रकिया	49	44	71	63	37	70	29	43	30	40
वित्तीय विकेन्द्रीकरण से संबंधित बजट की प्रकिया	24	31	19	24	27	14	17	29	19	29
कुल बजट पारदर्शिता अंक	**51.8**	**50.1**	**56.1**	**61.7**	**48.4**	**60.2**	**48.3**	**52.6**	**44.0**	**43.5**

बजट पारदर्शिता का अर्थ

सरकारों के बजट के संदर्भ में पारदर्शिता को बजट में दी गई सूचनाओं तक जनता की पहुँच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी से जनता में बजट से संबंधित सरकार के फ़ैसलों की समझ बनती है, बजट की प्रक्रिया में जनभागीदारी के रास्ते खुलते हैं तथा सरकार को बजट के प्रति जवाबदेह बनाने का आधार बनता है।

बजट पारदर्शिता का अध्ययन

राज्यों के बजट की पारदर्शिता का अधययन करते समय प्रत्येक राज्य की विशिष्टताओं तथा विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस अध्ययन में ऐसे मानदंडों को चुना गया है जो सभी राज्यों में आवश्यक रूप से लागु होते हैं, हालांकि ये राज्यों की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से अपर्याप्त हो सकते हैं।

इस अध्ययन में विधायकों, मीडिया तथा आम जनता के बजट के महत्तवपूर्ण साझेदार या भागीदार (स्टेकहोल्डर) होने पर ज़ोर दिया गया है, साथ ही यह अध्ययन समाज के वंचित वर्गों के लिए अपनाये गए बजट रणनीति तथा विकेंद्रीकरण से संबंधित बजट की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

इस अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली द्वारा अगस्त – दिसंबर 2010 में, राज्य के **वित्तीय वर्ष 2009–10** के बजट से संबंधित सूचनायें इकट्ठी की गयीं ।

राजस्थान बजट में पारदर्शिता

(1) बजट से संबंधित दस्तावेज़ों, रिपोर्टों तथा वक्तव्यों की उपलब्धता बजट पारदर्शिता का पहला मानदंड है, जिसमें राज्य के बजट दस्तावेज़ों तथा अन्य संबंधित दस्तावेज़ों की उपलब्धता की जांच करते हैं। राज्य सरकार को संवैधानिक आवश्यकताओं तथा आयोजना, लेखा परीक्षण (ऑडिट), कार्य आंकलन, वंचित वर्गों के लिए बजट तथा विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कई दस्तावेज़ निकालने होते हैं तथा उन्हें विभिन्न साझेदारों तक पहुँचाना होता है।

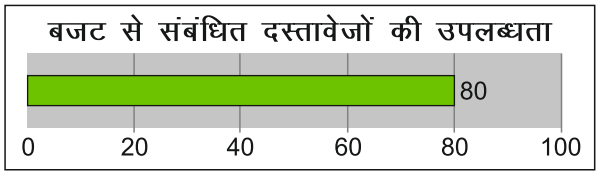

सकारात्मक

- राज्य सरकार राज्य बजट से जुड़ी अधिकांश आवश्यक दस्तावेज़ों को उपलब्ध करवाती है।
- सरकार उपलब्ध दस्तावेज़ों को संबंधित साझेदारों तक पहुँचाने का प्रयास करती है।

नकारात्मक

- राज्य सरकार 'बजट मेमोरेंडम' तथा 'बजट दस्तावेज़ों की कुंजी' (key to budget documents) जैसे कुछ दस्तावेज़ों को नहीं निकालती है।
- राज्य सरकार ग्रामीण तथा शहरी निकायों को देय धन की विस्तृत सूचना देने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं निकालती है।
- राज्य सरकार राज्य के पंच वर्षीय योजनाओं के मध्याकालिक मूल्यांकन तथा वर्ष के बीच में निकाले दस्तावेज़ों को उपलब्ध नहीं कराती।

(2) सूचनाओं की पूर्णता बजट पारदर्शिता का दूसरा मानदंड है, जिसमें यह देखा जाता है की बजट तथा संबंधित दस्तावेज़ों में दी गई सूचनायें राज्य की वित्तीय स्थिति का पूरी तस्वीर दिखाती हैं या नहीं। इस में यह जाँच की जाती है कि उपलब्ध दस्तावेज़ विभिन्न प्रकार की सूचनायें जैसे कर माफी के कारण सरकार को हो रहे कर के नुक़सान की मात्रा, संघीय (केन्द्रीय) बजट से उपलब्ध धन, जो राज्य बजट में शामिल नहीं किया जाता हैं, की पूरी जानकारी; विकास योजनाओं के लिए बजट राशि तथा वास्तविक (लेखा) खर्च का विवरण; राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार तथा केन्द्रीय संस्थाओं (जैसे योजना आयोग तथा वित्त आयोग) को दिये गए मेमोरेंडम; तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक वित्त से संबंधित संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं/कंपनियों के साथ किए गए समझौते की पूरी जानकारी देती है या नहीं।

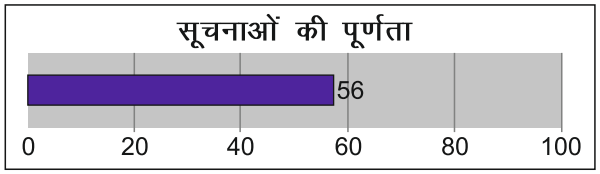

सकारात्मक

- बजट दस्तावेज़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2009–10 के खर्च और आय की पूरी सूचना देती है। साथ ही बजट दस्तावेज़ वर्ष 2008–09 तथा 2007–08 के आय तथा व्यय की सूचना भी देती है।
- बजट दस्तावेज़ वर्ष 2009–10 के आरंभ तथा अंत में सरकार के क़र्ज़ों तथा क़र्ज़ के स्रोत का पूरा ब्योरा भी देती हैं।
- बजट दस्तावेज़ सरकार की वित्तीय संपत्तियों की सूचना भी उपलब्ध कराते हैं।
- बजट दस्तावेज़ सरकारी क्षेत्र की इकाइयों तथा सरकार के बीच हुए लेन देन का विवरण भी देती हैं।

नकारात्मक

- बजट दस्तावेज़ सरकार के आय तथा व्यय का ब्योरा सरकार की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों (विभागों) के लिए उपलब्ध नहीं कराते हैं बल्कि केवल मुख्य शीर्ष वार (Major head wise) विवरण ही देते हैं।।
- बजट दस्तावेज़ केंद्र सरकार तथा विदेशी संस्थाओं से मिले ऐसे धन, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं, का पूरा विवरण नहीं देते हैं।
- बजट दस्तावेज़ सरकार की संपत्तियों के रख रखाव पर हो रहे खर्च का अलग से विवरण नहीं देती है।
- बजट दस्तावेज़ कर माफी के कारण सरकार को, कर में हुये नुकसान के आँकड़े नहीं देते हैं।
- बजट दस्तावेज़ पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं / प्रस्तावों के क्रियान्वन की पूरी जानकारी नहीं देते हैं।

(3) सूचनाओं की समझ को आसान बनाना, पारदर्शिता के एक मानदंड के रूप में, यह बताता है कि बजट दस्तावेज़ों में दी गई सूचनायें कितनी आसानी से समझी जा सकती हैं। इस मानदंड से संबंधित प्रश्नों से यह जानने की कोशिश की गई है की क्या बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध सूचनायें आसानी से समझने योग्य हैं तथा क्या उनमें सरकार के नीतिगत लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं की पूरी जानकारी है।

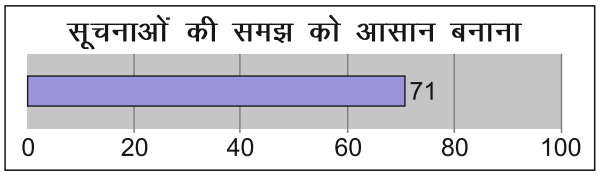

सकारात्मक

- कुछ उपलब्ध बजट दस्तावेज़ आसानी से समझ में आने योग्य हैं।
- कुछ बजट दस्तावेज़ों में नीतिगत लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं की जानकारी दी गयी है।

नकारात्मक

- बजट दस्तावेज़ों को अधिक आसानी से समझने योग्य बनाने तथा उनमें नीतिगत उद्देश्यों को शामिल करने की गुंज़ाईश है।
- राज्य सरकार को इसके लिए 'बजट दस्तावेज़ों की कुंजी' नामक दस्तावेज़ भी प्रकाशित करना चाहिए।

(4) सूचनाओं की समयबध्ता बजट में पारदर्शिता का चौथा मानदंड है जिसमें यह देखने की कोशिश की गयी है की सभी दस्तावेज़ समय पर उपलब्ध हो जाते हैं या नहीं। इस मानदंड से संबंधित कुछ प्रश्नों में यह भी देखा गया है की क्या राजकोष (ट्रेजरी) का कम्प्यूटरीकरण हुआ है तथा उस से संबंधित सूचना जनता तक पहुँचाने के लिए क्या उसे इंटरनेट से जोड़ा गया है।

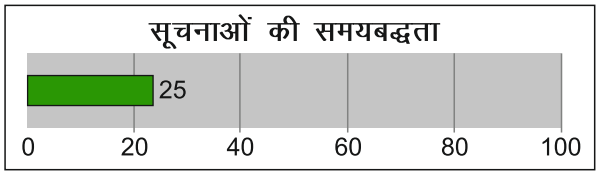

सकारात्मक

- राज्य बजट बनाने तथा उसे प्रस्तुत करने में सरकार एक बजट कैलेंडर का पालन करती है।
- राज्य सरकार पूरक बजट के लिए विधायिका की स्वीकृति समय पर लेती है।

नकारात्मक

- सरकार द्वारा जारी बजट सर्कुलर को सभी भागीदारों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
- राजकोष को इंटरनेट से नहीं जोड़ा गया है।
- राजकोष के आय और निकासी का मासिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

(5) लेखा तथा कार्य निष्पादन मूल्यांकन पाँचवा मानदंड है, जिसके आधार पर राज्य बजट के लेखा (ऑडिट) (भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक द्वारा) तथा राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं को जाँचने की कोशिश की गयी है। इस मानदंड से संबंधित प्रश्नों द्वारा यह देखा गया है कि राज्य बजट का लेखा परीक्षण नियमित रूप से होता है या नहीं; राज्य सरकार अपने बजट में बजट पूर्व वर्ष से पहले के वर्ष के लेखा परीक्षण के बाद के अंतिम आँकड़े देते हैं या यह सिर्फ प्रारम्भिक आँकड़े होते हैं; क्या राज्य सरकार अपने कार्य निष्पादन का मूल्यांकन रिपोर्ट नियमित रूप से निकलती है; और क्या राज्य सरकार आउटकम बजट बनती है।

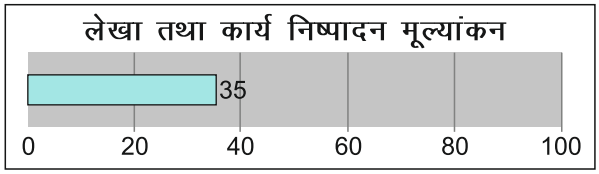

सकारात्मक

- भारत के नियंत्रक – महालेख परीक्षक के राज्य सरकार से संबंधित ऑडिट तथा लेखा के सभी रिपोर्ट पिछले तीन वर्षों में लगातार सार्वजनिक किये गये है।
- राज्य सरकार का बजट राज्य की वित्तीय स्थिति पर वर्ष के मध्य में दिया गया रिर्पोट राज्य के वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी देता है, जिसमें आय तथा व्यय के बजट अनुमानों से हो रहे अन्तर का ब्योरा भी रहता है।

नकारात्मक

- वर्ष के मध्य में दिये रिपोर्ट के अलावा राज्य सरकार कोई अन्य रिपोर्ट जैसे वर्ष के दौरान या अन्त में नहीं निकालती।
- राज्य सरकार वर्ष के दौरान किये गये अनुबंधों (**MOUs**) की सूचना देने वाला कोई दस्तावेज़ नहीं निकालती है।
- लेखा परीक्षण में किये टिप्पणियों (जैसे भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉं) पर

सरकार द्वारा उठाये गये कदम की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है।

- राज्य सरकार उन विभागों, जिनके लिये अपने कार्य के नतीजों (आउटकम) को जांचना जरूरी है, के कार्यों के नतीजों को बताने के लिये आउटकम बजट नहीं बनाती है।

(6) विधायिका द्वारा परीक्षण के अवसर पारदर्शिता का एक मानदंड है, जो राज्य की विधायिका द्वारा बजट का आंकलन तथा सरकार को उत्तरदायी बनाने की संभावनाओं को जांचता है। इसमें यह देखा गया है कि क्या विधायकों को सभी दस्तावेज़ उपलब्ध करवाये जाते हैं; कौन से बजट दस्तावेज़ विधायिका की जांच के लिये उपलब्ध हैं; विधान सभा में बजट पर बहस के लिये कितना समय मिलता है; क्या विधायकों को सरकार द्वारा किये गये सार्वजनिक वित्त से संबंधित अनुबंधों की जानकारी दी जाती है; तथा क्या बजट से संबंधित विधान सभा की समितियां कितनी सक्रिय हैं।

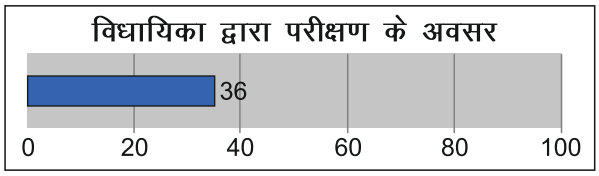

सकारात्मक

- राज्य विधान सभा में राज्य सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक – महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को देखने के लिये समिति बनी हुई है।
- राज्य कार्यकारिणी धन को एक मद से दूसरे मद या एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित करने से पूर्व विधायिका की अनुमति प्राप्त करती है।

नकारात्मक

- राज्य सरकार विधायकों को बजट दस्तावेज नये वित्तीय वर्ष शुरू होने के केवल 15 दिन पूर्व ही उपलब्ध करवाती है
- राज्य विधानसभा में विभिन्न विभागों के बजट प्रावधानों को देखने के लिये उनसे संबंधित विधायिका समिति नहीं है।
- राज्य सरकार वर्ष के दौराने किये गये अनुबंधों (MOUs) की सूचना वाला कोई दस्तावेज़ विधायकों को उपलब्ध नहीं करवाती है।
- राज्य सरकार विधायकों को ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवाती है जिसमें ऐसे धन, जो राज्य के राजकोष में नहीं आते हैं, का पूरा विवरण दिया गया हो।
- कार्यकारिणी योजना आयोग या वित्त आयोग को दिये जाने वाले मांग पत्र या मेमोरंडम देने से पूर्व विधायकों के साथ कोई विमर्श नहीं करती है।

(7) वंचित वर्गों के लिये बजट से संबंधित प्रकिया, बजट पारदर्शिता का सातवां मानदण्ड, सभी राज्य सरकारों द्वारा समाज से वंचित वर्गो जैसे महिलाओं (जेण्डर बजटिंग), अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जाति उपयोजना) तथा अनुसूचित जन जातियों (अनुसूचित जन जाति उपयोजना) के लिये बजट प्रावधानों से संबंधित रीतियों का पालन करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है।

सकारात्मक

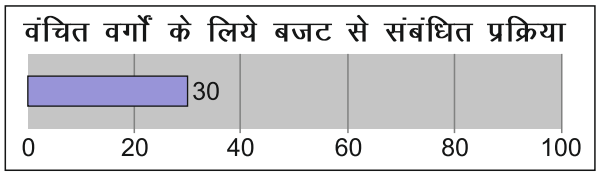

- राज्य सरकार अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना से संबंधित सूचना आंशिक रूप से उपलब्ध करवाती है।
- बजट दस्तावेज कुछ विभागों/मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना के अंतर्गत आवंटित राशि की जानकारी देते हैं।

नकारात्मक

- राज्य के बजट दस्तावेज महिला धटक आयोजना/जेण्डर बजट पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं।
- बजट दस्तावेज अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना को बजट में दिखाये गये आवंटन तथा खर्च के आधारों की चर्चा नहीं करते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना कैसे लागू किया जा रहा है इसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(8) वित्तीय विकेन्द्रीकरण से संबंधित बजट की प्रक्रिया को बजट पारदर्शिता का आठवां मानदण्ड माना गया है, जो इसकी जांच करता है कि क्या राज्य सरकार पंचायती राज इकाइयों तथा शहरी निकायों को उपलब्ध करवाये जा रहे धन से संबंधित बजट प्रक्रिया पूरी करती है। यह इस बात

पर जोर देता है कि ग्रामीण तथा शहरी स्थानिय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे धन की पूरी जानकारी बजट में उपलब्ध होनी चाहिये। यह इसकी जांच भी करता है कि राज्य बजट के आवंटन तथा खर्चों का ज़िलेवर विवरण बजट दस्तावेजों में है या नहीं।

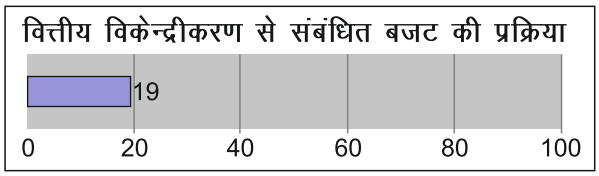

सकारात्मक

- राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें देने से पहले विभिन्न भागीदारों जैसे पंचायती राज इकाइयों तथा शहरी निकायों, विधायकों, तथा सामाजिक संस्थाओं से विमर्श करती है।

नकारात्मक

- पिछले दशक में राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग का गठन समय पर नहीं किया है।
- बजट दस्तावेज़ ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे धन की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं।
- राज्य बजट बनाने की प्रक्रिया में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से विमर्श नहीं किया जाता है।
- बजट दस्तावेज़ में राज्य के बजट के आवंटन तथा खर्चों का ज़िलावार विवरण नहीं होता है।

राजस्थान बजट में पारदर्शिता से संबंधित अच्छी बातें तथा कमियां

राजस्थान बजट में पारदर्शिता के इस अध्ययन में राज्य बजट की कई अच्छी बातों की पहचान की गयी है साथ ही पारदर्शिता से संबंधित कई कमियां भी उजागर हुई हैं, जिन पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य बजट की पारदर्शिता से संबंधित अच्छी बातें

- बजट दस्तावेज़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2009–10 के खर्च और आय की पूरी सूचना देते हैं। साथ ही बजट दस्तावेज वर्ष 2008–09 तथा 2007–08 के आय तथा व्यय की सूचना भी देते हैं।
- बजट दस्तावेज सरकार को वित्तीय संपत्तियों की सूचना भी उपलब्ध कराते हैं।
- राज्य सरकार अपने वार्षिक योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना की जानकारी देती है।

राज्य बजट की पारदर्शिता से संबंधित कमियां

- बजट दस्तावेज़ सरकार के आय तथा व्यय का ब्योरा सरकार क विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों (विभागों) के लिये उपलब्ध नहीं कराते हैं बल्कि केवल मुख्य शीर्ष वार (major head wise) विवरण देते हैं।
- बजट दस्तावेज़ राज्य सरकार को केन्द्र सरकार एवं विदेशी संस्थाओं से मिले ऐसे धन, जो राज्य बजट के बाहर होते हैं, का पूरा विवरण नहीं देते हैं।
- बजट दस्तावेज़ कर माफी के कारण सरकार को, कर में हुये नुकसान के आंकड़ें नहीं देते हैं।
- राजकोष को इंटरनेट से नहीं जोड़ा गया है।
- राज्य सरकार वर्ष के दौरान किये गये अनुबंधों (MOUs) की सूचना वाला कोई दस्तावेज़ नहीं निकालती है।
- राज्य के बजट दस्तावेज़ महिला घटक आयोजना/जेण्डर बजट पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं।
- बजट दस्तावेज़ अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जन जाति उपयोजना को बजट में दिखाये गये आवंटन तथा खर्च के आधारों की चर्चा नहीं करते हैं।
- बजट दस्तावेज़ ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध काराये जा रहे धन की पूरी जानकरी उपलब्ध नहीं करवाते हैं।
- बजट दस्तावेज़ राज्य बजट के आवंटन तथा खर्चों का जिलावार विवरण नहीं देते हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र, जयपुर

सेंटर फॉर बजट एण्ड गर्वनेंस अकाउंटेबिलिटी, नई दिल्ली

सहायक संस्थायें

* सेंटर फॉर रूरल स्टडीज़ एण्ड डेवलपमेन्ट, आंध्रप्रदेश
* सेंटर फॉर युथ एण्ड डेवलपमेन्ट, उड़ीसा
* ग्रामीण डेवलपमेन्ट सर्विसेज़, उत्तरप्रदेश
* लाइफ एज्यूकेशन एण्ड डेवलपमेन्ट सपोर्ट, झारखण्ड
* नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क, आसाम
* पाथेय, गुजरात
* समर्थन, महाराष्ट्र
* संकेत डेवलपमेन्ट ग्रुप, मध्यप्रदेश

आर्थिक सहायता

* फोर्ड फाउन्डेशन
* इन्टरनेशनल बजट पार्टनरशिप
* इन्टरनेशनल डवलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर
* ऑक्सफाम इण्डिया

सम्पर्क सूत्र :

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज)
फोन / फैक्स : 0141– 238 5254
ईमेल : info@barcjaipur.org
वेबसाईट : www.barcjaipur.org

सेंटर फॉर बजट एण्ड गर्वनेंस अकाउंटेबिलिटी
ए–1, द्वितीय तल, नीति बाग, खेल गांव मार्ग,
नई दिल्ली –110049
फोन : 011–41741285 / 86 / 87
फैक्स : 011–26357603
ईमेल : info@cbgaind.org
वेबसाईट : www.cbgaindia.org